उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग–5

अधिसूचना

04 जुलाई, 2005 ई0

संख्या 186/XXVII(5)/स्टाम्प/2005–राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उत्तरांचल राज्य की अधिसूचना संख्या–28/वि0अनु0–5/स्टाम्प/2001, दिनांक 10–10–2001 द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य की (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) अधिसूचना संख्या एस0आर0 2365/11–96–500 (12)–89, दिनांक 29 अगस्त, 1996 में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्–

उक्त अधिसूचना के प्रथम पैरा में, स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा।

"परन्तु 1,00,000 (एक लाख) रुपये से अधिक ऋण लिये जाने की स्थिति में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुच्छेद–1 बी की मद संख्या–6 की व्यवस्थानुसार स्टाम्प शुल्क से मुक्त सीमा से अधिक धनराशि पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता हेतु आगणित करते हुये अधिकतम स्टाम्प शुल्क (सीलिंग) 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) प्रभारित किया जाएगा।"

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 186/XXVII(5)/Stamp /2005,** dated July 04, 2005 for general information :

NOTIFICATION

July 04, 2005

No 186/XXVII(5)/Stamp /2005--In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section(1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 amended from time to time as applicable in Uttaranchal as (Act No. 2 of 1899) read with section 21 of the General Clauses Act 1897 (Act No. 10 of 1897) and on being satisfied that it is necessary to do so in the public interest, the Governor hereby makes the following further amendment in the Notification no. SR 2365/II-96-500(12)-89, dated 29 August, 1996 of Uttar Pradesh (as applicable on Uttaranchal) as amended by State of Uttaranchal Notification no. 28/Vitt Anubhag-5/Stamp & Regn./2001, Dated 10.10.2001, from the date of publication of this Notification in the official gazette, namely--

In the first para of the said Notification, the following proviso shall be inserted before the explanation :--

"Provided that when the obtained loan exceeds Rupees 1,00,000 (Rupees One Lakh) by the sureties, a maximum stamp duty (ceiling) of Rupees 10,000 (Rupees Ten Thousand only) on the amount exceeding from the exempted amount of loan under Item-6 of Schedule-1b of The Indian Stamp Act, 1899 shall be charged."

By Order,

INDU KUMAR PANDE,
Pramukh Sachiv.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 06–08–2005, भाग–1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित–]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 वित्त/308–17–08–2005–200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।